

प्रारम्भिक डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
ओ020रूल 6-7 जाब्ता दिवानी

जलत - उपखण्ड अधिकारी

मुकाम - कुशलगढ़

इजलास - रामेश्वर दयाल मीणा

आर0ए0एस0

धनजी पिता पूजा भील निवासी दरोबडिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

बनाम

1. अ. बदा पिता वालजी भील निवासी दरोबडिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
ब. गलिया पिता वालजी भील निवासी दरोबडिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
उ. सकू पिता वालजी भील निवासी दरोबडिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
व. कमजी पिता वालजी भील निवासी दरोबडिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
2. अ. मडिया पिता कलजी भील निवासी दरोबडिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
ब. भूरा पिता कलजी भील निवासी दरोबडिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
स. बिजू पत्नी कलजी भील निवासी दरोबडिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
3. अ. हुरजी पिता दला भील निवासी दरोबडिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
ब. सपली बेवा दला भील निवासी दरोबडिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
4. अ. राजू पिता हकरू भील निवासी दरोबडिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
ब. मागुडी बेवा हकरू भील निवासी दरोबडिया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
5. अ. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा छोटीसरवा
ब. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुशलगढ़
6. तहसीलदार कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)


दावा बाबत : 53, 209 रा0का0अ0 1955

मुकदमा नं0- 11/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रूबरू अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है/डिकरी जारी की जाती है कि-

ग्राम दरोबडिया की भूमि खाता सं0 43 सर्वे नम्बर 90 रकबा 2.64, 223 रकबा 0.06, 224 रकबा 8.79, 227 रकबा 0.79, 228 रकबा 0.79, 229 रकबा 0.80, 230 रकबा 1.86, 231 रकबा 4.74, 234 रकबा 1.78, 235 रकबा 1.18, 268 रकबा 2.05 कुल खेत 11 कुल रकबा 25.48 एकड़ लगान 16.60 में वादी 1/5, प्रतिवादी 1 (अ से द) 1/5, प्रतिवादी सं0 2 (अ से स) 1/5, प्रतिवादी सं0 3 (अ से ब) 1/5, प्रतिवादी सं0 4 (अ से ब) 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं भूमि की किस्म/रेकार्ड के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कुशलगढ़ को 500/-रू0 शुल्क पर बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर फहरिस्त बटवारा एवं नक्षा ट्रेस तीन-तीन प्रतों में पेश करेंगे। बैंक के इन्द्राज यथावत रहेंगे। खाते में खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

मिजमुलालिग बातखर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह फिसदी सालाना आज तारीख से तारीख अदायगी तक.....बासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 01.06.2017 को जारी की गई


(रामेश्वर दयाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़